बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–10.05.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संभावित पेयजल संकट से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. **विकास आयुक्त, बिहार**
2. **प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,**
3. **प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**
4. **प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग**
5. **प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग**
6. **प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग**
7. **नोडल पदाधिकारी (आपदा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं आया है। IMD द्वारा पूर्वानुमान में बताया गया है कि जून तक और गर्मी पड़ने की संभावना है। इस कारणवश भूगर्भ जल स्तर में गिरावट की सम्भावना है तथा पेय जल संकट उत्पन्न होने की भी संभावना हो सकती है।

1. <u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के अन्तर्गत कुल 10242 नलकूपों में से 3947 नलकूप चालू हैं, जबकि पिछले सप्ताह चालू नलकूपों की संख्या 3897 थी। वर्त्तमान सप्ताह में यांत्रिक दोष से बंद नलकूपों की सं0 814, विद्युत दोष से बंद नलकूपों की सं0 650 संयुक्त दोष से बंद नलकूपों की सं0 2698 तथा अन्य दोष से बंद नलकूपों की सं0 2140 कुल 6302 है।

संभावित पेय जल संकट के मद्देनजर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि प्रत्येक 15 दिनों पर हर जिले का जलस्तर की जांच की जाय और प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही विश्वसनीय जलस्तर डाटा (Telemetry) का तरीका अपनाने का निदेश दिया गया। चालू नलकूपों को सुचारू रूप से चलाने हेतु तीन–चार मॉड्यूल बनाया जाय, जिसके आधार पर राज्य के चालू नलकूपों के संचालन किया जा सके।

2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

नोडल पदाधिकारी (आपदा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कुल 1640 पशु शिविर में उपलब्ध जल स्रोतो की संख्या 1467 है, जिसका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। पशु चारा की समस्या नहीं है। सुखा चारा का 7 जिले में दर निर्धारित कर लिया गया है। राज्य स्तर पर पशुपालन निदेशालय में आपदा नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिसका दूरभाष सं0 0612– 2230942 है। इसी प्रकार निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष सं0 0612– 2224455 है।

मुख्य सचिव द्वारा अन्य जिलों में भी सुखा चारा का दर शीघ्र निर्धारित करने का निदेश दिया गया एवं साथ ही चारा का स्रोत भी तय कर लेने का निदेश दिया गया है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि अभी तक किसी भी नगर निकाय से पेय जल संकट की सूचना नहीं है। नगर निकायो में कुल 675 पियाउ कार्य कर रहे हैं तथा कुल 266 टैंकर कार्यरत हैं। जो पिछले सप्ताह से 62 अधिक है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि शहरों में गरीबों को पानी पिलाने हेतु पियाउ सेंटर खोला जाए एवं इस हेतु मोबाईल पियाउ की भी व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव के द्वारा शहरी क्षेत्र में पेयजल पहुंचाने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को चार–पांच मॉडल प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिससे आवश्यकता के अनुरूप मॉडल प्राक्कलन के आधार पर पेयजल आपूर्त्ति हेतु व्यवस्था की जा सके।

4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, लखीसराय तथा शेखपुरा जिलों में जलस्तर में 3' से ज्यादा की कमी आई है। कुल 7 जिलों के 58 टोलो में 62 टैकरों से जलापूर्त्ति की जा रही है। राज्य के दक्षिणी भाग के 17 जिलों का औसत भूजल में गिरावट मार्च 2016 की तुलना में 1–3' के अन्तर्गत है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में 0–3' भूजल स्तर में गिरावट की सूचना है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जिलास्तर पर पदस्थापित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं द्वारा जिला पदाधिकारी के निदेश पर पेयजल संकट वाले ग्रामीण इलाके में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। मुजफ्फपुर के सकरा प्रखंड में वाटर टैंकर से पानी की आपूर्त्ति की जा रही है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निदेशित किया गया कि शुद्ध जल की आपूर्त्ति हेतु जेरीकेन का क्रय कर लिया जाए। इस हेतु राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. ऊर्जा विभाग

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों की सूची जो उन्हें उपलब्ध करायी गई थी उन सभी नलकूपों को विद्युत दोष से मुक्त कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया है कि अगली बैठक में IMD एवं कृषि विभाग को भी शामिल किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक **दिनांक 26.05.2016 को 12.00 बजे दिन** में आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड)............../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड) 2147/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 19/5/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/16

संयुक्त सचिव